मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड

कार्यालय : गौमंगलम्, माता मंदिर चौराहा, भोपाल (म.प्र.)

दूरभाष : 0755-2776310,फैक्स : 0755-2776265 ईमेल mpgopalanboard@gmail.com

क्रमांक 998 /मंडी बोर्ड/जिलों को आ.स./2018-19 भोपाल, दिनांक 10/8/2018

प्रति,

1. कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति,
   जिला समस्त म.प्र.

2. संयुक्त/उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें,
   सदस्य सचिव, जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति,
   जिला समस्त म.प्र.

विषय :- जिले की गौशालाओं को आर्थिक सहायता पुनरीक्षित मार्गदर्शी सिध्दांत।

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1411-1412/मंडी बोर्ड/जिलों को आ.स./2005-06 दिनांक 13.01.2006 द्वारा गौशालाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा पत्र क्रमांक 482-483/बैठक 18.02.2008/पा.प्र./2008, भोपाल दिनांक 16.04.2008 द्वारा जिले की नवीन गौशालाओं के पंजीयन हेतु मार्गदर्शी सिध्दांत आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर भेजे गये थे।

माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2017 को संपन्न मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की बैठक में उपरोक्त सिध्दांतों में संशोधन किये गये हैं। अतः उक्त दोनों परिपत्रों में संशोधन करते हुए निम्नानुसार नवीन मार्गदर्शी सिध्दांत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

(अ) <u>गौशालाओं को आर्थिक सहायता निम्न मापदण्डों के आधार पर स्वीकृत की जाए :-</u>

(01) म.प्र.गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा पंजीकृत तथा कियाशील गौशालाओं को मुख्यतः उनमें उपलब्ध अशक्त/असहाय/रोगी/वृध्द/दूध न देने वाले गौवंश की संख्या के आधार पर राशि वितरित की जाए।

(02) गौशाला कम से कम एक वर्ष से संचालित हो।

(03) गौशाला में कम से कम 100 गौवंशीय पशु हो तथा गौशाला में कुल पशुओं के 60 प्रतिशत वयस्क गौवंशीय पशु वृद्ध, अशक्त दूध न देने वाले हों तथा 40 प्रतिशत दूध देने वाले गौवंश हो सकते हैं। गौवंश संख्या में एक वर्ष में छोटे गौवंश को न गिना जाये।

(04) गौशाला का प्रबंधन एवं संचालन व्यवस्थित व सुचारू हो।

(05) जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्द्धन समिति के शासकीय/अशासकीय सदस्य प्रत्येक तीन माह में नियमित रूप से जिले की गौशालाओं का निरीक्षण कर स्वीकृत राशि के समुचित उपयोग एवं गौशाला की प्रगति के विषय में प्रपत्र "क" में जानकारी प्राप्त करें।

(06) गौशाला से राशि की रसीद प्राप्त की जाए।

(07) पूर्व में प्रदाय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही जिला समिति द्वारा अगली सहायता दी जाए।

(08) प्रतिवर्ष 31 मार्च की स्थिति में चार्टर्ड अकाउण्टेंट की गौशाला की ऑडिट रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाए। गत ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने की दशा में ही अगली सहायता प्रदाय की जाए।

निरंतर...2

(ब) <u>नवीन गौशालाओं के पंजीयन हेतु प्राप्त प्रकरणों का जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्द्धन समिति निम्न आधार पर परीक्षण कर मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्द्धन बोर्ड की कार्य परिषद को अग्रेतर कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगी :–</u>

(01) आवेदन के साथ "मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्द्धन बोर्ड भोपाल" के नाम रू. सौ केवल का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करें।

(02) आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप एक (आवेदन पत्र), प्रारूप–दो (गौशाला की जानकारी), प्रारूप–दो अ (समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन पत्र), प्रारूप–दो ब (गौशाला समिति का विधान), प्रारूप–तीन (संस्था का रजिस्टर) तथा प्रारूप–क (गौशाला के संबंध में उपसंचालक का प्रमाण पत्र) में हों।समस्त प्रपत्र पूर्ण रूप से भरे गये हों, कोई कॉलम खाली न हो।

(03) गौशाला में कम से कम 100 गौवंशीय पशु हो तथा गौशाला में कुल पशुओं के 60 प्रतिशत वयस्क गौवंशीय पशु वृद्ध, अशक्त दूध न देने वाले हों तथा 40 प्रतिशत दूध देने वाले गौवंश हो सकते हैं। गौवंश संख्या में एक वर्ष में छोटे गौवंश को न गिना जाये।

(04) गौशाला का प्रबंधन एवं संचालन व्यवस्थित तथा सुचारू हो।

(05) गौशाला का बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में हो।

(06) गौशाला के पास पशु संख्या के आधार पर पर्याप्त भूमि, भवन तथा पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध हो। गौशाला समिति की भूमि एक एकड़ से कम न हो। गौशाला के भूमि संबंधि दस्तावेज जैसे पी–II फॉर्म, खसरा,नक्शा, लीज, रजिस्टर्ड दानपत्र, आदि जो भी लागू हो वह गौशाला समिति के नाम हो, जिन्हे संलग्न किया जाये तथा शासकीय भूमि होने की स्थिति में राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

(07) प्रकरण जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्द्धन समिति के अनुमोदन उपरांत ही पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्द्धन बोर्ड को भेजा जाए।

10/08/18

प्रबंध संचालक
म.प्र.गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड
भोपाल

999–1002

कमांक................/मंडी बोर्ड/जिला को आ.स./2018–19 भोपाल, दिनांक 10/8/2018

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, अध्यक्ष, म.प्र.गौपालन एवं पशुधन संवर्द्धन बोर्ड, कार्य परिषद की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशु पालन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, पशु पालन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

प्रबंध संचालक
म.प्र.गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड
भोपाल